

अनुमति का अर्ज 7

- (1) जमा नाम - भूखण्ड के विभाग को स्वीकृत स्थिति में ली जा सकती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (प्राथमिक, मालकीय, जमीनगत या अन्य) होने का विचार न किया जाये और जमाकर्ता को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (3) जमा न हो विभाग किसी भी कारणवश जमा अस्वीकार करेगा ।
- (4) जमा प्राप्त विभाग द्वारा प्रारम्भ करने की आवश्यक विभाग को सूचित होगा ।
- (5) स्वीकृत करने के विभागीय विभाग वाले आवेदन स्वीकृत विभाग को जा सकती है ।

(1) उपरोक्त जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ

एक स. जी.सी. के वस. असादीय म.नी.न.नी. कार्यालय नगर विभाग, ज.

आवेदन क्रमांक 929 दिनांक 18/03/2024
पानी बिजली पत्र आदेशों पर पानी अवर सि.ए. म.ए.न.न.

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000
घारा 194 (7) (9) के तहत आवश्यक
मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10,612/- मात्र
जारी रसीद संख्या 2667/6826-6853
दिनांक 18/03/2024 को जमा करा दी है ।

P-1002 23/682-चौकसी हाथिल काँठ

19/3/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर विभाग, जोधपुर

रक्षिण

(Handwritten signature)

At.

9413247650

जी.सी.
मैलार्दीय